

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 91/2022

निर्णय दिनांक : 23/06/2023

श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा. लिमि. जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72-ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

2 ओके प्लस कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्म हाउस डवलपर्स प्रा लिमि. जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72-ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. यशोदा चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी, जाति जाट, निवासी डी 42, एम.एन.आई.टी. जयपुर।
2. राकेश आचार्य पुत्र प्रकाश चन्द आचार्य, जाति ब्राह्मण, निवासी 11, सकडी गली, मनिहारों का रास्ता, तहसील व जिला जयपुर।
3. लहरूमल शेवकरमानी पुत्र पहलूमल, जाति सिन्धी, निवासी मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
4. सुनीता विजयरानियां पत्नी योगी प्रसाद, जाति जाट, निवासी ग्राम खोजास, तहसील नवलगढ़, जिला झून्झूनू।
5. सुरेश आचार्य पुत्र प्रकाश चन्द आचार्य, जाति ब्राह्मण, निवासी 11, सकडी गली, मनिहारों का रास्ता, तहसील व जिला जयपुर।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं

188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत होने पर वादीगण का प्रतिवादीगण विरुद्ध दिनांक 14.09.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2023/946 दिनांक 23.01.2023 के

संलग्न कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खाता संख्या 1050/897 में भूमि खसरा नम्बर 4359 रकबा 0.59 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	4359	0.59	चाही 2 जाव 2		यशोधरा चौधरी पत्नि महेन्द्र चौधरी हिस्सा 19/118 जाति जाट सा. डी 42, एम.एन.आई.टी. जयपुर खातेदार, राकेश आचार्य पुत्र प्रकाशचन्द्र आचार्य हिस्सा 4/59 जाति सिन्धी नि. 11, सकडी गली मनिहारों का रास्ता, जयपुर खातेदार, लहरूमल शेवकरमानी पुत्र पहलूमल हिस्सा 17/59 जाति सिन्धी सा. मालपुरा टोंक खातेदार, श्री राधेगोविन्द फार्मस् प्र.लि. हिस्सा 7/59, 72ए. किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर खातेदार, सुनिता विजयरानियां पत्नि योगी प्रसाद हिस्सा 19/118, जाति जाट, सा. ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झूझनू खातेदार, सुरेश आचार्य पुत्र प्रकाश वन्द आचार्य हिस्सा 4/59 जाति सिन्धी, नि. 11, सकडी गली, मनिहारों का रास्ता, जयपुर खातेदार, हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. मार्फत निदेशक पंजीकृत कार्यालय ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, हिस्सा 8/59 खातेदार
	किता-1	0.59			

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

खातेदारो का नाम व पिता का नाम

किस्म

1	4359 में से	0.08	ओके प्लस कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्म हाउस डवलपर्स प्रा. लिमि. जरिये निदेशक, पंजीकृत कार्यालय 72-ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
2	किता-1	0.08	यशोधरा चौधरी पति महेन्द्र चौधरी हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. डी 42, एम.एन. आई.टी. जयपुर खातेदार, सुनिता विजयरानियां पति योगी प्रसाद हिस्सा 1/2, जाति जाट, सा. ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झूझनू खातेदार	चाही 2 जाव 2
	4359 में से	0.19		
3	किता-1	0.19	राकेश आचार्य पुत्र प्रकाशचन्द आचार्य हिस्सा 1/2 जाति सिन्धी नि. 11, सकडी गली मनिहारों का रास्ता, जयपुर खातेदार, सुरेश आचार्य पुत्र प्रकाश चन्द आचार्य हिस्सा 1/2 जाति सिन्धी, नि. 11, सकडी गली, मनिहारों का रास्ता, जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	4359 में से	0.08		
4	किता-1	0.08	श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 72-ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी खातेदार	चाही 2 जाव 2
	4359 में से	0.07		
5	किता-1	0.07	लहरूमल शेवकरमानी पुत्र पहलूमल, जाति सिन्धी सा. मालपुरा टोंक खातेदार	चाही 2 जाव 2
	4359 में से	0.17		
	किता-1	0.17		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेंजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)

आर:ए.एस.

उपखण्ड जयपुर